राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकःपं010(1)चिस्वा/2/2017/सी–98 जयपुर,दिनांकः 30/11/2017

परिपत्र

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत समस्त सवंर्ग के चिकित्सकों द्वारा उच्च अध्ययन हेतु आवेदन/साक्षात्कार/परीक्षा/भर्ती/चयन/विदेश यात्रा एवं सभी आवश्यक प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति राज्य सरकार के स्तर से जारी किये जायेगें।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सवंर्ग के समस्त चिकित्सकों को यह निर्देशित किया जाता है उच्च अध्ययन हेतु आवेदन/साक्षात्कार/परीक्षा/भर्ती/चयन/विदेश यात्रा एवं सभी आवश्यक प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति लिये बिना जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

सम्बन्धित समस्त नियंत्रण अधिकारी निदेशक(जन स्वा.)/सयुंक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को यथा शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व निदेशालय स्तर के सम्बन्धित अनुभाग से परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें तथा नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव मय सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भिजवावें।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–विशिष्ठ सहायक,माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2–निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3–निदेशक(जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
4–समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
5–समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राज0
6–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7–समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8–प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9–रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)
शासन सहायक सचिव